

# 22वीं वार्षिक रिपोर्ट 22nd ANNUAL REPORT 2010-2011



नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
(भारत सरकार का उपक्रम)

**NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION**  
(A Government of India Undertaking)



(आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)  
(An ISO 9001:2008 Certified Company)



14वीं मंजिल, कोर 1 व 2 स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092  
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092



## अध्यक्षीय संदेश

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनैस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) बफा अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है और समाज के सबसे कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति एवं इस वर्ग में भी गरीबी सीमा रेखा से नीचे रहने वाले तथा गरीबी रेखा के दोगुने से नीचे रहने वाले व्यक्ति और उनके परिवारों को ऋण देने में जुटा है। एनएसएफडीसी बंधित वर्गों को वित्त देने की गतिविधि और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के विकास कार्य, इन दोनों को समानता से ध्यान देता है।

एनएसएफडीसी देशभर की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के नेटवर्क के माध्यम से इन उद्देश्यों को पूरा करता है। समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाली महिलाओं के लिए एनएसएफडीसी सुनिश्चित करता है कि वित्त पोषण में और कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण देने में प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए इसके पास महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषतौर पर बनाई गई महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) की महिला किसान योजना (एमकेवाई) है। महिलाओं को 30% निधि के संवितरण में सुनिश्चित करने के पहले के मानदंड को भौतिक और वित्तीय दोनों रूप में 40% तक बढ़ाया गया है। निगम ने न केवल सफलतापूर्वक इस मानदंड को पिछले 3 वर्षों में पूरा किया है बल्कि मानदंडों की निर्धारित सीमा से आगे बढ़ा है।



### CHAIRMAN'S MESSAGE

National Scheduled Castes Finance & Development Corporation (NSFDC) is a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 and is engaged in lending to most marginalized sections of the society i.e. Scheduled Castes and even in this section the target group is limited to below the poverty line and below double the poverty line individuals and families. NSFDC gives equal weightage to the activity of providing finance to the deprived sections and also working on the development in order to raise their economic and social status.

NSFDC carries out its objectives through a nation wide network of State Channelising Agencies. Women being an important section of the society, NSFDC ensures that the women folks are given priority in financing and providing skill upgradation training. For this purpose, it has special schemes such as Mahila Samridhi Yojana (MSY) and Mahila Kisan Yojana (MKY) designed specifically to meet the financial needs of the women. Earlier norm of ensuring 30% funds to be disbursed to women has been raised to 40% both in physical and financial terms. The Corporation is not only successful in meeting these norms for the last 3 years but have exceeded the norms.



हालांकि निगम की पूरी कोशिश कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए लक्षित फिरे भी निगमित सामाजिक दायित्व के तहत, निगम विशेष कौशल कार्यक्रमों, अनुजाति बहुल जिलों में जागरूकता अभियान, लाभार्थियों को विक्री करने का मौका देना उसके लिए प्रशिक्षण देना जैसी गतिविधियों को कर रहा है तथा इसके साथ ही लाभ को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एवं मेलों में उनकी भागीदारी की सुविधा दे रहा है। एनएसएफडीसी ने पिछले तीन वर्षों में निगमित सामाजिक दायित्व के तहत अपने से अधिक आय का लगभग 8.5% से 18% तक खर्च किया है यह लोक उद्यम विधेय (डीपीई) द्वारा निर्धारित 5% के मापदंड से ज्यादा है।

एनएसएफडीसी द्वारा अपने लक्ष्य समूह को दी जा रही सेवाओं में आधुनिक तंत्र आने के लिए, एनएसएफडीसी ने 2007-08 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्राप्त किया। प्रमाणन वर्ष 2010-11 के दौरान संगठन के अंदर प्रक्रिया और प्रणाली को आगे बढ़ाया और फिर से उन्मुख करने के द्वारा आईएसओ 9001:2008 में उन्नत बनाया गया। पिछले तीन सालों (अर्थात् 2007-08 से 2009-10 तक) से एनएसएफडीसी को लोक उद्यम विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन का 'उत्कृष्ट' दर्जा मिल रहा है। इसके अलावा 2010-11 के लिए एनएसएफडीसी का निष्पादन भी 'उत्कृष्ट' श्रेणी के अनुरूप है और उसे डीपीई उनके अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपनी योजनाओं के अतिरिक्त, एनएसएफडीसी समय-समय पर समाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं के कुछ भाग की मानीटरिंग भी करता है। ऐसी योजनाएं हैं 'मैनुअल स्केवेंजर्स के पुनर्वास के लिए योजना' (एसआरएमएस), 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' (पीएमएजीवाई)। एनएसएफडीसी को मैनुअल स्केवेंजर्स के पुनर्वास के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए 8 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ दिए गए हैं। इनमें से राज्यों ने 'मैनुअल स्केवेंजर मुक्त' की सूचना दी है और असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल के राज्यों में इसे आदमी द्वारा किए जाने की प्रैक्टिस से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत, मैनुअल स्केवेंजर्स को पहचाना जा रहा है, उन्हें कौशल प्रशिक्षण एवं पूंजीगत आर्थिक सहायता देने के द्वारा उन्हें पुनर्वासित किए जाने के प्रयास जारी हैं।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) का लक्ष्य अनुसूचित जाति की ओर से अधिक जनसंख्या वाले आदर्श गाँवों का विकास करना है। एनएसएफडीसी इस योजना में जागरूकता अभियान के आयोजन, प्रशिक्षण संबंधी कौशल विकास एवं उद्यमी विकास कार्यक्रमों तथा बहुत कम ब्याज दर पर वित्त देने के माध्यम से जुड़ा है। एनएसएफडीसी नागाँव और मोरीगाँव (असम), गया (बिहार), श्रीगंगानगर और हुनमानगढ़ (राजस्थान)



Though the entire efforts of the Corporation are targeted towards economic upliftment of the poor but still under the Corporate Social Responsibility, the Corporation is taking up activities such as specialized skill training programmes, awareness camps in SC concentrated Districts, providing marketing avenues and imparting marketing training to the beneficiaries and also facilitating their participation in regional and national level exhibitions and Fairs. NSFDC has spent about 8.5% to 18% of its excess of income over expenditure under the CSR activities in the last three years, going much beyond the norm of 5% laid by the Department of Public Enterprises (DPE).

In order to adopt modern mechanisms in the services provided by the NSFDC to its target group, NSFDC obtained ISO 9001:2000 Certification in the year 2007-08. This certification was upgraded to ISO 9001: 2008 during the year 2010-11 by further incorporating and re-orienting the procedures and systems within the organization. For the last 3 years (i.e. 2007-08 to 2009-10) NSFDC has achieved "excellent" MOU rating by Department of Public Enterprises. Further, the performance of NSFDC for 2010-11 also conforms "Excellent" rating and is being submitted to Department of Public Enterprises for their final evaluation.

In addition of its own schemes, NSFDC is also monitoring some components of MOSJ&E's schemes from time to time. Two such schemes are "Rehabilitation of Manual Scavengers"(SRMS) and "Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana" (PMAGY). For Rehabilitation of Manual Scavengers Scheme, NSFDC is mandated to implement it in 8 States, i.e. Assam, Bihar, Himachal Pradesh, West Bengal, Punjab, Haryana, Kerala and Chattisgarh. Out of these, 4 States have been declared as manual scavenger free, and efforts are being made to remove this inhuman practice in the States of Assam, Bihar, Himachal Pradesh and West Bengal. Under this scheme, the manual scavengers are identified and rehabilitation efforts are put into practice by providing skill training and capital subsidy to them.

Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY) aims to develop model villages having higher concentration of SC population. NSFDC is involved in this scheme by way of organizing Awareness Campaigns, Skill development and Entrepreneurial Development Programmes and providing finances at very low rate of interest. NSFDC is associated with this scheme in the States of Nagaon and Morigaon (Assam), Gaya (Bihar), Sriganganagar &



तिरुवरूर और कड्डालोर (तमिलनाडु) तथा सोलन और सिरमोर (हिमाचल प्रदेश) राज्यों में इस योजना से जुड़ा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने इन जिलों के कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार ऋण योजनाओं के तहत निरंतर प्रस्तावों को भेजना किया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देश पर एनएसएफडीसी ने देखे जाने वाले चर्म उद्योग बहुल भागों में चर्म शिल्पकारों के विकास के लक्ष्य को बढ़ाना किया है। भारत में चर्म शिल्पकार पर संकल्पना (कॉनसेप्ट) तैयार की गई और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत की गई तथा चर्म शिल्पकारों के विकास के लिए दीर्घावधि योजना बनाई गई। राज्य, जहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ की चैनेलाइजिंग एजेंसियों से चर्म उद्योग के लिए विशेष परियोजना तैयार करने के लिए कहा गया। ऐसे क्षेत्र महाराष्ट्र (मुंबई और कोल्हापुर जिले), राजस्थान (जोधपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, और जयपुर जिले), पश्चिम बंगाल (बीरभूम), मध्य प्रदेश (मंडला और इंदौर जिले) तथा पंजाब (पटियाला और मुक्तसर जिले) में हैं।

एनएसएफडीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का बहुत धन्यवाद देता है जो इसके लक्ष्य समूह को कंपनी द्वारा दी जा रही सेवाओं के सुधार के लिए अपेक्षित निरंतर सहायता और योग्य मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। एनएसएफडीसी को योजना आयोग, उद्यम विभाग (डीपीई), राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासनों तथा राज्यों की चैनेलाइजिंग एजेंसियों जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों से सराहनीय एवं मूल्यवान सहायता सहयोग मिलता रहा है। इन संस्थानों के सहयोग और समन्वय के बिना अनुसूचित वर्गों के बीच गरीबी उन्मूलन के महान लक्ष्य का साकार होना संभव नहीं होगा।

निगम की ताकत उसके सक्षम, समर्पित और मेहनती कार्मिकगण हैं। जो उसकी सभी सफलताओं के पीछे हैं। मैं निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रत्येक उनकी लगातार कड़ी मेहनत, टीमभावना और कंपनी उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता (Commitment) दिखाने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ।



80

(हरदीप सिंह किशोर)  
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

दिनांक 24 अगस्त, 2011



Hanumangarh (Rajasthan), Tiruvarur and Cuddalore (Tamil Nadu) and Solan and Sirmour (Himachal Pradesh). State Channelising Agencies are continuously persuaded to send proposals under skill training and self employment loan schemes for these Disitriacts.

On the directions of the Ministry of Social Justice and Empowerment, NSFDC has also taken up the task of development of leather craft workers in selected parts of the country where the leather industry is concentrated. A concept paper on Leather workers in India was prepared and presented to the Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment and a long term plan for development of leather workers has been prepared. The State Channelising Agencies of the States where such industries exist have been approached to formulate special projects for leather industries. Such areas fall in Maharashtra (Mumbai & Kolhapur Districts), Rajasthan (Jodhpur, Barmer, Bharatpur, Alwar, Bikaner and Jaipur Districts), West Bengal (Bhirbhum), Madhya Pradesh (Bhopal and Indore Districts) and Punjab (Patiala and Muktsar Districts).

NSFDC is extremely thankful to the Ministry of Social Justice & Empowerment (MOSJ&E), which is providing continuous support and able guidance required for the improvement of services provided by the Company to its target group. NSFDC received commendable and valuable support and cooperation from many other Government Agencies such as Planning Commission, Department of Public Enterprises (DPE), State Governments, UT Administrations and State Channelising Agencies of various States. Without cooperation and coordination of these institutions, the magnanimous task of alleviating poverty amongst SCs will never become a reality.

The strength of NSFDC is its very competent, dedicated and hard working manpower which is behind all successes attained by NSFDC. I acknowledge the efforts of all staff and officers of the NSFDC who have also exhibited the spirit of continuous hard work, team work and commitment towards the cause of the Company.

(Hardip Singh Kingra)

Chairman-cum-Managing Director

Date: 24<sup>th</sup> August, 2011



नेशनल स्कूल बोर्ड्स कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2011 को तुलना पर

विवरण	अनुपूर्विकी	31 मार्च 2011 ₹	31 मार्च 2010 ₹
<b>क. विधियों के अंतर्गत</b>			
अस प्राथमिक की शिक्षा		171000000	120000000
उच्च प्रथम	*	250000000	100000000
अस प्राथमिक उच्च प्रथम		2147012812	2005791740
संशोधन एवं प्रशिक्षण शिक्षा	*		
<b>कुल</b>		<b>815012812</b>	<b>7223391740</b>
<b>ख. विधियों का अंतर्गत</b>			
सहायी शैक्षणिक/शैक्षणिक		92357813	82112982
सहायक शैक्षणिक	*	31511081	29518801
सहायक प्रशासनिक			
<b>कुल अंतर्गत</b>		<b>40846792</b>	<b>62531881</b>
<b>ग. अनु अनुसंधानिक, अन्य तथा अधिका</b>			
अस प्राथमिक उच्च प्रथम	*	885412971	592425398
उच्च प्रथम	*	3392780	2550832
अस प्राथमिक उच्च प्रथम	*	7541465863	6661936285
अस प्राथमिक	*		
शैक्षणिक संशोधन के प्रयोजन के लिए प्रशासनिक	*	295726370	426672980
शैक्षणिक संशोधन के लिए प्रशासनिक	*		
अस प्राथमिक उच्च प्रथम	*	1875500	1141500
शैक्षणिक संशोधन के लिए प्रशासनिक	*		
<b>कुल अनु अनुसंधानिक, अन्य तथा अधिका</b>		<b>8487873684</b>	<b>7684928911</b>
<b>घ. प्राथमिक - अनु अनुसंधानिक एवं प्रशासनिक</b>			
अस प्राथमिक	*	9145589	8455258
प्रशासनिक	*	27045721	22866695
शैक्षणिक संशोधन के प्रयोजन के लिए प्रशासनिक	*		
अस प्राथमिक	*	421405641	491126580
प्रशासनिक	*	(26892855)	(1386545)
शैक्षणिक संशोधन के प्रयोजन के लिए प्रशासनिक	*		
अस प्राथमिक	*	3804989	3789846
प्रशासनिक	*	(391500)	(793500)
शैक्षणिक संशोधन के लिए प्रशासनिक	*		
<b>कुल अनु अनुसंधानिक, अन्य तथा अधिका</b>		<b>432707524</b>	<b>324130752</b>
<b>कुल अनु अनुसंधानिक</b>		<b>8054166880</b>	<b>7560798129</b>
<b>कुल</b>		<b>815012812</b>	<b>7223391740</b>

उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्रथम की विधियों 'अ' से 'ग' तक की अनुपूर्विकी तालिका में प्रस्तुत की गई हैं।

80 (सी. बी. प्रथम) वित्तसंक  
 80 (प्रारंभिक प्रथम) वित्तसंक  
 80 (अस प्राथमिक) वित्तसंक  
 कुल अनु अनुसंधानिक, अन्य तथा अधिका वित्तसंक  
 कुल अनु अनुसंधानिक वित्तसंक  
 कुल अनु अनुसंधानिक वित्तसंक

दिनांक : 11 दिसंबर, 2011  
स्थान : दिल्ली

ए. ए. ए. (अध्यक्ष प्रथम) कार्यवाही व. व. ए. ए. ए.



**NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION**

**BALANCE SHEET as at 31st MARCH 2011**

PARTICULARS	SCHEDULES	31st MARCH 2011 Rs.	31st MARCH 2010 Rs.
<b>A. SOURCES OF FUNDS</b>			
<b>SHAREHOLDERS' FUNDS</b>			
Share Capital	A	571800000	520800000
Share Application Money		25000000	1000000
Reserves & Surplus	B	2147012812	2005391740
<b>TOTAL</b>		<b>8115012812</b>	<b>7223391740</b>
<b>B. APPLICATION OF FUNDS</b>			
<b>FIXED ASSETS</b>			
Gross Block	C	92357813	92112442
Less Depreciation		31511081	28518861
<b>Net Block</b>		<b>60846732</b>	<b>63593581</b>
<b>CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES</b>			
Cash and Bank Balances	D	845412971	592425394
Other Current Assets	E	3392700	2590832
Loans and Advances	F	7341465863	6661936285
Advances out of Grant in Aid received towards Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers	N	295726570	426872900
Advances out of Grant from Other Org. Resource Linkage Program	O	1875500	1143500
		<b>8487873604</b>	<b>7684928911</b>
<b>LESS: CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>			
Current Liabilities	G	9145569	8455256
Provisions	H	27045721	22856095
Grant in Aid towards Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers			
Receipts	N	421405643	491126500
Expenditure	N	(26992855)	(1306545)
Grant from Other Org. for Resource Linkage Program			
Receipts	O	3894946	3796946
Expenditure	O	(791500)	(791500)
		<b>43707524</b>	<b>524130752</b>
<b>NET CURRENT ASSETS</b>		<b>8054166080</b>	<b>7160798159</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8115012812</b>	<b>7223391740</b>

Accounting Policies & Notes on Accounts Schedule "A" to "P" form an integral part of accounts.

Sd/-  
(V. D. Sharma)  
Assistant General Manager

Sd/-  
(Rakesh Kumar)  
Deputy General Manager

Sd/-  
(Annu Bhugol)  
Company Secretary

For and on behalf of Board of Directors

As per our separate report of even date attached

Sd/-  
(P. P. Mitra)  
Director

Sd/-  
(Hardip Singh Kingra)  
(Chairman-cum-Managing Director)

for Luthra & Luthra  
Chartered Accountants  
Registration No. 62883N

Dated : 11th July 2011  
Place : Delhi

Sd/-  
(Akhilesh Gupta)  
Partner  
M.No 89909



नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय का लेखा

विवरण	अनुपूर्विकों	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए
<b>आय</b>			
संग्रहण के आय	अ	222852045	208135510
अव्ययों के आय पर आय	ब	29427871	16861609
अन्य प्रविष्टियाँ	क	4096981	2324509
		<b>256378907</b>	<b>227321628</b>
<b>कुल आय</b>			
<b>व्यय</b>			
अवैयक्तिकों को अनुदान व वसूला प्रत्यागत	द	87050458	65584138
प्रशासनिक व अन्य व्यय	ड	12989224	12980309
भू-विकास	घ	2361455	2445915
एन.सी.ए. को वसूली के लिए प्रोत्साहन		0	1647936
		<b>82201135</b>	<b>81768298</b>
<b>कुल प्रचालन व्यय</b>		<b>174177732</b>	<b>145553330</b>
<b>सकल अतिरिक्त</b>			
पार / (कोई)			
व्यय को-व्ययित करने वाली को अनुदान			
प्रोत्साहन-सुधार		20146367	7514465
अवैयक्तिक एवं वसूली के लिए प्रोत्साहन	च	6884826	(58730520)
पुनर्विनिवेशन/व्यय		7614230	(801663)
		<b>139852349</b>	<b>197571054</b>
<b>व्यय से अधिक आय</b>			
व्यय एवं आय लेखा से अवैयक्तिक अतिरिक्त प्रकृत निर्धारित करें		139852349	197571054
1. विशेष आवंटित निधि में आवंटित 10% राशि		13985235	19757105
2. शेष राशि सामान्य आवंटित निधि में आवंटित		<b>125867114</b>	<b>177813949</b>
<b>प्रति शेयर आय</b>	<b>कुल</b>	<b>25.39</b>	<b>39.43</b>
	<b>अल्पकृत</b>	<b>25.36</b>	<b>39.43</b>
लेखा नीतियों एवं शेषों पर विवरणियाँ 'अ' से 'ग' तक की अनुपूर्विकाओं लेखों का अतिरिक्त भाग हैं।			
	४० (श्री. डी. राणी) सहायक महाप्रबंधक कुल निदेशक, मजल तथा उपरी और से	४० (सर्जिस कुमार) उप महाप्रबंधक	४० (अनूप चौधरी) संयोजी सचिव इसकी सब विनांक की सत्यता पुस्तक रिपोर्ट के अनुसार
	४० (श्री. पी. मिश्र) निदेशक	४० (हर्षदीप किशोर) (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)	कुल सुधरा एंड सुधरा संयोजी लेखाकार परीक्षण संख्या ४४४४४४
दिनांक : 11 जुलाई, 2011 स्थान : दिल्ली			४० (प्रशिक्षण मुख्यालय) भागीदार स.सं. ४००००



**NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION**

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT for the year ended 31st MARCH'2011**

PARTICULARS	SCHEDULES	FOR THE YEAR ENDED	FOR THE YEAR ENDED
		31st MARCH'2011	31st MARCH'2010
		Rs.	Rs.
<b>INCOME</b>			
Income from Business	I	227852055	208135530
Interest on Short Term Deposits	I	29427871	16801609
Other Receipts	J	4098983	2324509
		<u>256178907</u>	<u>227521628</u>
<b>TOTAL INCOME</b>			
<b>EXPENDITURE</b>			
Payments to and Provisions for Employees	K	67059458	65984138
Administrative and Other Expenses	L	17989224	12090309
Depreciation	C	2161455	2445915
Incentives to SCA		0	1647936
		<u>82201135</u>	<u>81768298</u>
<b>TOTAL OPERATIONAL EXPENDITURE</b>		<u>174177772</u>	<u>145553330</u>
<b>GROSS SURPLUS</b>			
Less / (Add)			
Grant in Aid to SCA's		20146367	7514465
Training - Beneficiaries		6864826	(58730528)
Provision for Bad & Doubtful Loans	M	7614230	(801863)
Prior Period (Income) / Expenses			
		<u>139552349</u>	<u>197571054</u>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>			
Amount held from Income & Expenditure A/C appropriated here as under		139552349	197571054
1) 10% amount transferred to Special Reserve Fund		13955235	19757105
2) Balance transferred to General Reserve		<u>125597114</u>	<u>177813949</u>
<b>Earning Per Share</b>			
BASIC		25.39	39.43
DILUTED		25.36	39.43
Accounting Policies & Notes on Accounts Schedule "A" to "P" form an integral part	P		

Sd/-  
(V. D. Sharma)  
Assistant General Manager

Sd/-  
(Rakesh Kumar)  
Deputy General Manager

Sd/-  
(Annu Bhogal)  
Company Secretary

For and on behalf of Board of Directors

As per our separate report  
of even date attached

Sd/-  
( P. P. Mitra )  
Director

Sd/-  
( Hardip Singh Kingra )  
(Chairman-cum-Managing Director)

for Luthra & Luthra  
Chartered Accountants  
Registration No. 02081N

Dated : 11th July 2011  
Place : Delhi

Sd/-  
(Akhilesh Gupta)  
Partner  
M.No 89909





**NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION**  
 Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2011  
 Year ended 31st March, 2011

	Amt in (Rs.)	
	Year ended 31st March, 2010	Year ended 31st March, 2011
<b>A. Cash flow from operating activities</b>		197571054
Excess of income over expenditure	24460215 (78720526)	
Adjustment for:		
Depreciation	2542306	1522341
Provision for doubtful debts, Assets & Advances		
Provision for employees benefit		
Special Reserve Fund Investment etc		
Operating Profit before Working Capital Changes	9251385	145331189
Adjustment for:		
(Increase)/Decrease in Other Current Assets and Loans & Advances	(526821942)	
(Increase)/Decrease in Current Liabilities and Others Payable	(92869237)	
(Increase) / (Decrease) in Prepaid	4189630	
Net cash flow from operating activities	(645501553)	330410362
<b>B. Cash flow from investing activities</b>		
(Purchase) of Fixed Assets	(406597819)	(185079163)
Sale of Fixed Assets	(406597819)	
Net cash flow from investing activities	(813195638)	(185079163)
<b>C. Cash flow from financing activities</b>		
Share Capital		
Share Application Money		
Net cash flow from Financing Activities	730000000	450000000
Net increase/(decrease) in Cash & Cash Equivalent	252887577	327739960
Closing Balance of Cash & Cash Equivalent	592423394	92423394
	845412971	
	(235433)	

Note: (a) The above cash flow statement has been prepared by using the indirect method as per Accounting Standard-3 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.  
 (b) Cash and cash equivalents consists of cash and balances/deposits with scheduled banks.

For and Behalf of Board of Directors  
 Sd/- (P. Mitra) Director  
 Sd/- (Hardip Singh Kingra) (Chairman-cum-Managing Director)  
 Sd/- (V. D. Sharma) Assistant General Manager  
 Sd/- (Rakesh Kumar) Deputy General Manager  
 Sd/- (Annu Bhogal) Company Secretary

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date for Luthra & Luthra Chartered Accountants Registration No. 40839

Sd/- (Akhilesh Gupta) Partner M.No 88888

Dated: 11th July 2011  
 Place: Delhi



परिशिष्ट- 'क'

**लूथरा एंड लूथरा**  
सन्दी लेखाकार**लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

सदस्यगण,  
मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
दिल्ली-110092

हमने मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (इसके बाद कंपनी कहा गया है) के दिनांक 31 मार्च, 2011 के संबद्ध कंपनी के तुलन-पत्र उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के आय-व्यय लेखा और नकदी प्रवाह विवरणिका की लेखा परीक्षा कर ली हैं। ये वित्तीय विवरण कंपनी की प्रबंध समिति के उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन से मुक्त है, योजना बनाएँ और लेखा परीक्षा करें। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधारित जाँच, राशि के समर्थन के साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण को शामिल करती है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए जा रहे लेखा सिद्धांतों के निर्धारण और प्रबंध समिति द्वारा किए गए अभिव्यंजक अनुमानों के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणिका के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में समुचित आधार को बताती है।

हम इस प्रकार रिपोर्ट करते हैं:-

1. चूंकि निगम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा, 25 के अंतर्गत पंजीकृत है इसलिए कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के प्रावधान, यथा संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश, 2004 द्वारा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप धारा (4ए) के निबंधनों में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू नहीं हैं।
2. हम आगे रिपोर्ट करते हैं:

क. हमने वे सभी सूचनाएँ एवं विवरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए हमारी लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक थे;



# Luthra & Luthra

Chartered Accountants

## Auditors' Report

To,  
**The Shareholders of  
M/s. National Scheduled Castes Finance & Development Corporation,  
Delhi-110 092.**

We have audited the attached Balance Sheet of M/s. National Scheduled Castes Finance & Development Corporation (hereinafter referred as the company) as at 31<sup>st</sup> March, 2011, the Income and Expense Account and Cash Flow Statement of the Company for the year ended on the same date. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the Accounting Principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.

We report as follows:-

1. Since the company is registered under section 25 of the Companies Act, 1956, the provisions of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 as amended by the Companies (Auditor's Report) (Amendment) Order, 2004, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956 are not applicable to the company.
2. We further report that :
  - a. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

A-16/9, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057  
Tel. : 26145325, 26148048, 26151013, 42591800 Fax : 26145222

**लूथरा एंड लूथरा**

सनदी लेखाकार

- ख. हमारी राय में, निगम ने वे सभी समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं;
- ग. इस प्रतिवेदन में, वर्णित तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखे और नकदी प्रवाह विवरणिका का ब्योरा बहियों के अनुसार ठीक है;
- घ. हमारी राय में, निगम का तुलन-पत्र, आय व्यय लेखे और नकदी प्रवाह विवरणिका कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में दिए लेखा स्तर के अनुसार लागू है;
- ङ. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (जी) के प्रावधान इस निगम पर लागू नहीं होते।
- च. हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त लेखे अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना को दर्शाते हैं और सही व उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:
- (i) 31 मार्च, 2011 को निगम की स्थिति के तुलन-पत्र के मामले में;
- (ii) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक लाभ के आय और व्यय लेखों के मामले में।
- (iii) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के नकदी प्रवाह विवरणिका के मामले में।

कृते लूथरा एवं लूथरा  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं. 02081एन

ह0  
अखिलेश गुप्ता  
भागीदार  
स.सं.89909

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11 जुलाई 2011

ए-16/9, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057  
दूरभाष : 26145325, 26148048, 26151013, 42591800 फैक्स : 26145222



## Luthra & Luthra

Chartered Accountants

- b. In our opinion, proper books of accounts, as required by law have been kept by the Company;
- c. The Balance Sheet, the Income and Expenditure account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- d. In our opinion, the Balance Sheet, the Income and Expenditure account and Cash Flow Statement along with Notes to accounts dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956, to the extent applicable.
- e. The provision of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956, is not applicable to the company.
- f. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and above give a true and fair view of:
  - i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at 31<sup>st</sup> March, 2011;
  - ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the excess of income over expense of the Company for the year ended on that date.
  - iii) in case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

For Luthra & Luthra  
Chartered Accountants  
Regn No.02081N

-sd/-  
Akhilesh Gupta  
Partner  
M.No.89909

Place : New Delhi  
Date : 11th July, 2011

A-16/9, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057  
Tel. : 26145325, 26148048, 26151013, 42591800 Fax : 26145222



परिशिष्ट-‘ख’

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्ट की निर्धारित संरचना के अनुसार नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, की 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व कंपनी की प्रबंधन समिति का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक निकाय इस्टीमेटेड ऑफ वार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानक आस्थासनों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अन्वयित इन वित्तीय विवरणिकाओं पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनकी 11 जुलाई, 2011 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, की वित्तीय विवरणिकाओं की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य किए वेपरी के मूल्यांकन के बिना की गई है तथा यह मुख्यतः वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की जीच एवं कुछ लेखांकन रिक्तियों की ययनात्मक परीक्षा तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में विशेष कुछ नहीं आया है जिसमें कंपनी अधिनियम की धारा 619(4) के अधीन वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अथवा अनुपूरक के लिए कोई अभिव्यक्ति उठे।

#### आय और व्यय लेखा

##### व्यय

कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान: रु 670.50 लाख

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का प्रावधान न होने के कारण उक्त लेखा शीर्ष में कम तथा व्यय से अधिक आय के शीर्ष में रु 123.90 लाख अधिक दिखाया गया है। इसके अलावा पीआरपी के लिए तैयार की गई लेखा नीति सं 15 भी ए एस-1 के अनुरूप नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
तथा उनकी ओर से

ह०

(नयना ए कुमार)  
मुख्य निदेशक राशिज्यिक लेखा परीक्षा  
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II  
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 23 अगस्त, 2011

**ADDENDUM-B**

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2011.**

The preparation of financial statements of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2011 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 11th July, 2011.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation for the year ended 31st March 2011. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to the inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report.

**Income and Expenditure Account**

**Expenditure:**

**Payments to and Provisions for Employees : ₹ 670.50 lakh**

Non-provision of Performance Related Pay (PRP) for the years 2009-10 and 2010-11 resulted in understatement of the above account head with consequent overstatement of excess of income over expenditure to the extent of ₹ 123.90 lakh. Further, the Accounting Policy No.-15 framed for the PRP is also not in conformity with AS-1.

**For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India**

-sd/-

(Naina A. Kumar)

**Principal Director of Commercial Audit &  
Ex-officio, Member, Audit Board-II,  
New Delhi**

Place : New Delhi

Dated : 23.08.2011



भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति के उत्तर

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंध समिति के उत्तर
<p>आय और व्यय लेखा व्यय</p> <p>कर्मचारियों को मुग्तान और प्रावधान: रु 670.50 लाख</p> <p>वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का प्रावधान न होने के कारण उक्त लेखा शीर्ष में कम तथा व्यय से अधिक आय के शीर्ष में रु123.90 लाख अधिक दिखाया गया है। इसके अलावा पीआरपी के लिए तैयार की गई लेखा नीति सं 15 भी ए एस-1 के अनुरूप नहीं है।</p>	<p>पारिश्रमिक समिति ने डीपीई गाइडलाइनों के अनुसार निगम की निष्पादन प्रबंध समिति नीति को बनाया/संशोधित किया। नीति के अनुसार, निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) की गणना की जाती है। इसके अलावा पीआरपी सीधे जुड़ी है:</p> <p>(i) समझौता ज्ञापन रेटिंग (ii) सीपीएसई का लाभ और (iii) प्रत्येक कर्मिकों की परफारमेंस रेटिंग</p> <p>इसके उपरान्त पीआरपी की अदायगी बाद के वर्षों में की जाती है ; -जब डीपीई द्वारा एमओयू की रेटिंग की घोषणा की जाती है। -पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और -निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन</p> <p>उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगम ने लेखा नीति सं. 15 के अनुसार पीआरपी के लिए लेखा नीति तैयार की और पी आर पी को नकद आधार पर गिना है। लेखों पर टिप्पणियाँ टिप्पणियों के नोट सं. 17.2 में भी इसे दर्शाया गया है।</p> <p>नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी अनुसार पीआरपी के लिए तैयार की गई लेखानीति की जाँच की जाएगी।</p>

**ADDENDUM-C**

**MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENTS OF THE  
COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA**

<b>C&amp;AG Comments</b>	<b>Management's Reply</b>
<p>Income and Expenditure Account Expenditure:</p> <p>Payments to and Provisions for Employees : Rs.670.50 lakh</p> <p>Non-provision of Performance Related Pay (PRP) for the years 2009-10 and 2010-11 resulted in understatement of the above account head with consequent overstatement of excess of income over expenditure to the extent of Rs.123.90 lakh. Further, the Accounting Policy No.-15 framed for the PRP is also not in conformity with AS-1.</p>	<p>The Remuneration Committee formulate / modify Performance Management System Policy of the Corporation in terms of DPE guidelines. As per laid down policy, the Performance Related Pay (PRP) is calculated. Further, PRP is directly linked to :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) MOU rating</li> <li>(ii) Profit of CPSE and</li> <li>(iii) Performance rating of individuals executives.</li> </ul> <p>Consequently, the payment of PRP is made in subsequent years:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- after MOU rating is announced by DPE.</li> <li>- recommended by Remuneration Committee and</li> <li>- approved by Board of Directors.</li> </ul> <p>Considering the above facts, Corporation has laid down the accounting policy for PRP vide Accounting Policy No.-15 and PRP is accounted for on Cash Basis. Subsequently, disclosure has also been made in "Notes on Accounts" vide Note no.17.2.</p> <p>As mentioned by C&amp;AG, the Accounting Policy framed for the PRP will be examined.</p>